पेसिफिक में बालिका की श्वास नली से निकाली सुपारी

उदयपुर, (कासं)। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल के कान नाक एवं गला रोग विभाग के चिकित्सकों ने बालिका की श्वास नली से सुपारी निकालकर उसे नया जीवन दिया।

पाली जिले के बाली तहसील निवासी मायरा (3) ने खेलते खेलते सुपारी का टुकडा खा लिया, जो श्वास

- **चिकित्सकों की टीम ने बच्चे को बेहोश कर दूरबीन द्वारा मुंह के रास्ते से श्वास नली के अन्दर फंसे हुए सुपारी के टुकड़ों को बाहर निकाला**

नली में फॅस गया। उसे सांस में दिक्कत होने पर स्थानीय अस्पताल में दिखाया लेकिन जब उसकी हालत बिगडी,तो परिजन उसे रात 1 बजे पीएमसीएच की इमरजेंसी में लाए। यहां बाल रोग विभाग के डॉ.पुनीत जैन ने उसकी जांच की और सीटी स्कैन से पता चला कि बच्ची की सांस नली में कोई वस्तु होने का संदेह हुआ, जिसके बाद कान, नाक और गला विभाग के डॉ.शिव कौशिक को सूचित किया। डॉ.शिव कौशिक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ब्रोंकोस्कोपी (दूरबीन से ऑपरेशन) करने का निर्णय लिया। ईएनटी सर्जन डॉ.शिव कौशिक ने बताया कि बच्ची की सांस नली में सुपारी के टुकड़े मिले, जिन्हें कुछ ही मिनटों में निकाल दिया।

ऑपरेशन में कान,नाक एवं गला रोग विभाग के डॉ. एस. एस. कौशिक, डॉ. रिचा गुप्ता डॉ. कश्मीरा, डॉ. तवरिता, डॉ. रक्षित, डॉ. अंतरिखीया, एनेस्थिसिया विभाग के डॉ.समीर गोयल, डॉ. स्वाति, डॉ. इशिता एवं टीम का सहयोग रहा। डॉ. शिव कौशिक ने बताया कि आमतौर पर इस तरह की समस्या होने पर डॉक्टर ऑपरेशन कर उस चीज को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बच्चे की कम उम्र को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं था। इसके बाद चिकित्सको की टीम ने बच्चे को बेहोश कर दूरबीन द्वारा उसके मुंह के रास्ते से श्वास नली के अन्दर फॅसे हुए सुपारी के टुकडों को बाहर निकाला। डॉ.शिव कौशिक ने स्पष्ट किया कि अगर ऑपरेशन में अगर देरी हो जाती तो बच्ची के सुपारी के टुकडों के फूलने के कारण श्वास नली के बन्द होने की बच्चें की जान भी जा सकती थी। बच्ची के माता-पिता ने पीएमसीएच के चेयरमेन राहुल अग्रवाल, क्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर अमन अग्रवाल, सभी चिकित्सकों, मैनेजमेंट, नर्सिंग कर्मियों एवं स्टाफ का आभार जताया।

पेसिफिक में मेडिकल टीम के साथ बालिका परिजन के संग।

युवक पर हमला

उदयपुर, (कासं)। आपसी कहासुनी के चलते युवक ने चाकू से हमला कर व्यक्ति को घायल किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित पिन्टू देवी पत्नी पुष्कर शर्मा निवासी कोल्यारी झाड़ोल ने अम्बामाता पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। कि6 अक्टूबर को आरोपी बह्मपोल हाल अंबावाड़ी निवासी हिम्मत पुत्र किशन तेली मेरे पति पुष्कर (44)मीठालाल के कंधे पर पर चाकू से हमला कर घायल करने के बाद फरार हो गया।

सूने मकान से जेवरात व नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। सुखेर थाना क्षेत्रमें स्थित सूने मकान का अज्ञात चोर ताला तोड़ कर नकबजनी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीडित विकास पुत्र रमेश चन्द्रशर्मा निवासी समता नगर बीजी नगर बेदला शिवालय ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि 6 अक्टूबर सांय सामाजिक काम से मैं बाहर गया था। रात में लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ था एवं कमरों में सामान बिखरा पड़ा था।तलाशी ली तो सोने के 3 जोड़ी टॉप्स, बैक पासबुक्स, पासपोर्ट, तथा 1 लाख 45 हजार रूपये नकदी व चांदी की पायल गायब थी। इस पर पुलिस को सूचना दी

चौबीसा को पी.एच.डी.उपाधि

उदयपुर, (कासं)। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विवि ने शिक्षा संकाय में मुकेश चौबीसा को ''किशोर विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं मूल्यों को विकसित करने हेतु विद्यालयों में किए जाने वाले प्रयासों का अध्ययन'' विषय पर शोध कार्य करने पर पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई। डॉ. मुकेश ने शोध कार्य डॉ. रचना राठौड के निर्देशन में पूर्ण किया।

पथ संचलन 13 अक्टूबर को

उदयपुर, (कासं)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयदशमी पर परंपरागत रूप से होने वाला पथ संचलन 13 अक्टूबर को होगा। उदयपुर महानगर इकाई की ओर से इस वर्ष संचलन एवं विजयादशमी उत्सव तीन स्थानों पर होगा।

स्वयंसेवक संघ उदयपुर महानगर संघचालक गोविंद अग्रवाल ने बताया कि संचलन समाज में सज्जन शक्ति का मनोबल बढाने और दुर्जन शक्ति का मानमर्दन करने के संदेश के लिए होता है। समाज में चैतन्य, आत्मविश्वास व विजय की आकांक्षा निर्माण कर उसकी सिद्धि व बलोपासना करने के लिए यह उत्सव प्रेरित करता है। संघ अब शताब्दी वर्ष की ओर है संघ के कार्य में लगातार विस्तार हो रहा है इसी ऋम में इस वर्ष महानगर इकाई का संचलन एवं विजयादशमी उत्सव तीन स्थानों से होगा और तीनों संचलन में द्विवेणी संगम का विशेष आकर्षण रहेगा।संचलन क्रमांक 1 का स्थान फिल्ड क्लब, सहेली मार्ग होगा।यहाँ से दो संचलन निकलेंगे, जिसमें से एक संचलन फील्ड क्लब से प्रारंभ होकर सहेली नगरए मुंदडा अपार्टमेंट होते हुए फतहपुरा पुलिस चौकी तक जायेगा वही दूसरा संचलन फील्ड क्लब से प्रारंभ होकर फतहपुरा चौकी, आदिनाथ कॉलोनी होते हुए न्यू अहिंसा पूरी, जैन शावक संघ तक जायेगा।दोनों संचलन का द्विवेणी संगम प्रातः 10.17 पर फतेहपुरा पर होगा एवं इसके बाद दोनों संचलन एक साथ सुखाडिया सर्किलए सहेलियों की बाडी होते हुए पुनः प्रारम्भ स्थल फील्ड क्लब पहुचेंगे और वहाँ समापन होगा।संचलन क्रमांक 2 का स्थान मान बाग, सेक्टर 14 होगा। यहाँ से दो संचलन निकलेंगे, जिसमें से एक संचलन मान बाग से प्रारंभ होकर वसंत विहार चौराहा, हवा मगरी, श्री राम सर्किल होते हुए सोमनाथ महादेव मंदिर तक जायेगाए वही दूसरा संचलन मान बाग से प्रारंभ होकर गवरी चौकए शाही काम्प्लेक्स होते हुए भील समाज नोहराए कैपिटल टावर तक जायेगा।

DIRECTORATE OF RESEARCH
Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur

No. MPUAT/DR/2024/2669 Dated 07.10.2024

ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT

A walk-in-Interview to engage contractual Senior Research Fellow/ Junior Research Fellow/Young Professional-I/Young Professional-II /Training Assistant in the Research Projects as per the advertisement given on University website http://mpuat.ac.in will be held at **Directorate of Research. Udaipur** on **17.10.2024** at **10:30 AM**. The engagement shall be purely on contractual basis and can be terminated at any time without any notice. The details of advertisement for essential qualification etc. have also been put up on website.

Director Research

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.4201 **लोक-सूचना** दिनांक :8/10/24

श्री गोविन्दराम पिता श्री बद्रीलाल गुर्डा निवासी मकान संख्या 0, कॉलोनी कुम्हारों का बास पिचियाक , क्षैत्र/स्थान कुम्हारों का बास पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	पसून्द	1000/8	रकबा 0.1862 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 8/10/24 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

जेवरात व नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। अंबामाता थाना क्षेत्र में स्थित सूने मकान का चोर ताला तोड़ कर जेवरात व नकदी चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता सायमा शेख पत्नी जहीर शेख निवासी रामपुरा अम्बामाता ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

धोखाधड़ी का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)।जमीन बेचने का सौदा तय कर रूपये लेने के बाद भी पीडित को रजिस्ट्री नहीं करवा जमीन अन्य को बचने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार पीडित जगदीश पुत्र किशनलाल डांगी निवासी कुडीमोहल्ला सुखेर ने पुलिजस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि सुखलाल उर्फ लाल पुत्र भंवरलाल डांगी निवासी गवरी चौक पुला, कमल डांगी पुत्र गणेश डांगी निवासी शोभागपुरा व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि आरोपी से जमीन खरीदने का सौदा तय होने पर जून 2024 में 12 लाख 50 हजार रूपये का भुगतान कर इकरार किया। कुछ दिनों बाद 22 अगस्त को आरोपी ने उक्त जमीन जगदीश पुत्र छगनलाल निवासी आदर्शनगर को बेच दी।

'साईबर प्रशिक्षण' शुरू

उदयपुर, (कासं)। पुलिस मुख्यालय के निद्रेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर साईबर अपराधों की बढती घटनाओं को रोकने के लिए ' साईबर प्रशिक्षण' अभियान की शुरूआत की गई।इस दौरान साइबर एवं सोशल मीडिया क्राईम के संबंध में कार्मिकों एवं अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला मुख्यालय पर 7 व 8 अक्टूबर को रिजर्व पुलिस लाईन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 60 पुलिस कार्मिकों को साईबर अपराधों की पहचान, जांच, उसकी रोकथाम तथा अपराधियों को ट्रेसआउट करने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर बारीकी से प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म यू ट्यूब, ट्वीटर, एफबी, इंस्टाठाम व वाट्सप आदी पर हो रहे अपराधों की पहचान, जांच और निवारण व साथ ही मोबाईल फोरेंसिंक, सीडीआर/पीडीआर विश्लेषण, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लेकचेन अपराधों की जांच, ई मैल फ्राड की जांच के विषय पर विस्तृत से जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सार्वजनिक सूचना
CRSP Capital Pvt. Ltd

सभी सम्मानित ग्राहकों, हितधारकों और स्थानीय निवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारी शाखा **देवगढ़, राजसमंद, भोपालगढ़, पिपार, घटोल, मंगलवाड** को दिनांक **06-जनवरी-2025** से ब्रांच ऑपरेशन का कार्य बंद किया जा रहा है। हम इस परिवर्तन के माध्यम से अपनी सेवाओं को और अधिक सुगम, सुलभ और आधुनिक बनाना चाहते हैं, ताकि आपको अधिकतम सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

शाखा का पता:-
देवगढ़- ICICI बैंक बिल्डिंग, सोहन लहरी निवास, भीलवाड़ा रोड, देवगढ़ 313331, **राजसमंद** - शिव मंदिर के पास रेलवे स्टेशन रोड, कांकरोली, राजसमंद 313324, **भोपालगढ़**- गणेशपुरा मार्केट, जोधपुर रोड, भोपालगढ़ 342603, **पिपार**- खेजड़ला रोड, पुराने बस स्टैंड के पास, पिपर 342601, घाटोल F23-24, जीवन ज्योति कॉम्प्लेक्स, पुराने बस स्टैंड, **घाटोल**- 327023, **मंगलवाड** - दुकान नंबर 3, निम्बाहेड़ा, मंगलवार चौरा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान - 312024

हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको हमारी सेवाएँ अन्य शाखाओं के माध्यम से सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें:

संपर्क के लिए:
दफ्तर हेल्पलाइन नंबर-0294-2580000 ईमेल: ceo@crspcapital.com
मुख्यालय का पता- 12 सी, चौथी मंजिल, पैसिफिक अमन बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर, राजस्थान - 313001
धन्यवाद.
CRSP Capital Pvt. Ltd.

(प्रपत्र संख्या-7) (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

नोटिस

पत्रावली संख्या:-149/2024/ उदयपुर/4390
दिनांक-8/10/24

वास्ते:-श्री श्याम गौ सेवा समिति,
1346, प्रभात नगर, महावीर विद्या मंदिर के पास, हिरण मगरी सेक्टर-5, उदयपुर

श्री श्याम गौ सेवा समिति, 1346, प्रभात नगर, महावीर विद्या मंदिर के पास, हिरण मगरी सेक्टर-5, उदयपुर और से श्री श्याम सुन्दर देवपुरा, कोषाध्यक्ष ने प्रपत्र-6 मय विधान के पंजीयन कराने बाबत राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा-17 में आवेदन पेश किया।

अत: एव धारा 18 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम,व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे , इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां,यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। आगामी पेशी तारीख 12/12/24 की रखी गयी है। यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 7.10.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

मुहर (जतीन कुमार गाँधी) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

(प्रपत्र संख्या-7) (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

नोटिस

पत्रावली संख्या:-150/2024/ उदयपुर/4384
दिनांक-8/10/24

वास्ते:-महेश सेवा केन्द्र,
1346, प्रभात नगर, महावीर विद्या मंदिर के पास, हिरण मगरी सेक्टर-5, उदयपुर

महेश सेवा केन्द्र, 1346, प्रभात नगर, महावीर विद्या मंदिर के पास, हिरण मगरी सेक्टर-5, उदयपुर और से श्री श्याम सुन्दर देवपुरा, अध्यक्ष ने प्रपत्र-6 मय विधान के पंजीयन कराने बाबत राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा-17 में आवेदन पेश किया।

अत: एव धारा 18 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम,व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे , इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां,यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। आगामी पेशी तारीख 12/12/24 की रखी गयी है। यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 7.10.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

मुहर (जतीन कुमार गाँधी) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

मेला 21से, निगम ने शुरू की तैयारियां

उदयपुर, (कासं)। नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। मेले में पहले दो दिन स्थानीय प्रतिभाओं को प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा इसके लिए स्थानीय प्रतिभाओ से प्रस्तुति के आवेदन मांगे गए है। मेले की शुरूआत 21 अक्टूबर को होगी।

नगर निगम सांस्कृतिक समिति अध्यक्षा चंद्रकला बोल्या ने बताया कि महापौर गोविंद सिंह टाक, आयुक्त रामप्रकाश एवं उप महापौर पारस सिंघवी के निर्देश पर नगर निगम द्वारा आयोजित होने वाले दीपावली मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई है। निगम परिसर में लगने वाला मेला इस वर्ष भी 15 दिन का आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम 2 दिन स्थानीय प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उन्हें मौका दिया जाएगा जिससे वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर अपना भविष्य संवार सके।मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रथम दो दिन 21 व 22 अक्टूबर को स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा नृत्य, संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगें। इसमें भाग लेने वाले इच्छुक प्रतिभागी / कलाकार जिनकी आयु 12 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो वे दिनांक 15 अक्टूबर तक नगर निगम की राजस्व शाखा से आवेदन नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र उसी दिन 15 अक्टूबर को सायं 4 बजे तक जमा भी कराने होंगे। इसके पश्चात आए आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को नगर निगम द्वारा पृथक से सूचित किया जायेगा। भाग लेने वाले इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित दिनांक तक अपने आवेदन आवश्यक रूप से जमा करावें।

कार्यालय राजस्थान मेडिकेयर रीलिफ सोसायटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवला, ब्लॉक-कोटडा (उदयपुर)

क्रमांक:/निविदा/2024-312 दिनांक:-8.10.2024

निविदा-सूचना

कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवला, ब्लॉक कोटडा, जिला उदयपुर (राज.) पर वर्ष 2024-25में इस कार्यालय के अधिन डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थान पर सफाई व्यवस्था हेतु अनुभवी एवं पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी से उक्त कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र दिनांक 09.10.2024 से 15.10.2024 को 12.00 बजे तक बेची जायेगी तथा दिनांक 15.10.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जाकर निविदा दिनांक 15.10.2024 को ही 02.00 बजे गठित कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अवधि	अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)
1.	सफाई व्यवस्था (सफाई कर्मचारी मय सफाई सामग्री)	वित्तिय वर्ष 2024-2025	180000/-	3600/-	400/- रूपया

शर्ते :-

1. धरोहर राशि ''डी.डी.'' द्वारा ''राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवला '' के नाम से मामेर में देय होगी।
2. निविदायें निहित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी जिन्हें इस कार्यालय से नकद भुगतान पर प्राप्त किय़ जा सकता है।
3. निविदा शर्ते कार्यालय में उपलब्ध है जिन्हें निविदादाता किसी भी कार्य दिवस समय में उपस्थित होकर देख सकता है।
4. समिति न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा यह किसी भी निविदा या निविदा के किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्ध कर सकता है।
5. दरें संस्थान हेतु देना अनिवार्य होगा।

सचिव
राजस्थान मेडिकेयर रीलिफ सोसायटी एवं चिकित्सा प्रभारी, देवला ब्लॉक-कोटडा, उदयपुर

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टैंड, उदयपुर राजस्थान-313001, फोन नं.: 8840764553, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणियों/जमानतदारों को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो बैंक/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक रूप से **पंजाब नैशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि, ऋणियों/जमानतदारों से **पंजाब नैशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि (धरोहर राशि) संबंधित सम्पत्तियों के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

सुरक्षित सम्पत्तियों की अनुसूची

लोट नं.	शाखा कार्यालय / खाते का नाम / ऋणियों/जमानतियों का नाम व पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्ता का नाम)	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक / (बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक / (सी) कब्जा दिनांक / (डी) कब्जे का प्रतीक प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	(ए) आरक्षित मूल्य / (बी) धरोहर राशि / (सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी दिनांक व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
1	**शाखा हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर** **मैसर्स कुशल फर्टिलाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री केशव राम डांगी पुत्र श्री चौखा राम, श्रीमती इन्द्रा डांगी पत्नी श्री केशव राम डांगी एवं श्री आकाश सोनी पुत्र श्री हीरा लाल सोनी** **मैसर्स कुशल फर्टिलाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड** औद्योगिक भूमि खसरा नं. 1929/1108, राजस्व गाँव रठाणा, मावली जंक्शन, उदयपुर 313203 निदेशक एवं जमानतदार- **(1) श्री केशव राम डांगी पुत्र श्री चौखा राम** भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 761, गाँव होली, पटवार सर्कल, बांसलिया, तहसील मावली, उदयपुर **(2) श्रीमती इन्द्रा डांगी पत्नी श्री केशव राम डांगी** भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 761, गाँव होली, पटवार सर्कल, बांसलिया, तहसील मावली, उदयपुर-313203 **(3) श्री आकाश सोनी पुत्र श्री हीरा लाल सोनी** 539, अम्बामाता स्कीम, अम्बामाता मंदिर के पिछे, उदयपुर-313001 जमानतदार- **श्री देवेन्द्र भारती पुत्र श्री मुंशी भारती** फ्लैट नं. 502, पांचवी मंजिल, जय श्री राम अपार्टमेन्ट, हिरण मगरी, सेक्टर 14, उदयपुर, राजस्थान- 313002	मैसर्स कुशल फर्टिलाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम औद्योगिक भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 1929/1108, गाँव रठाणा, पटवार जोन नूरडा, तहसील मावली, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5020 वर्ग मीटर है। सीमाएं- उत्तर: आराजी नं. 1967/1108 रास्ता, दक्षिण: आराजी नं. 1932/1108 श्रीमती दूर्गा बाई पत्नी श्री हरि राम गुर्जर एवं श्रीमती पप्पू बाई पत्नी श्री मनोहर लाल गुर्जर, पूर्व: आराजी नं. 1107 श्री नाना पुत्र श्री गणेश गुर्जर, पश्चिम: आराजी नं. 1108 श्री नाना पुत्र श्री गणेश गुर्जर एवं प्लान्ट एवं मशीनरी नीलामी संदर्भ संख्या: PUNBUH250138026	ए) 20.05.2022 बी) रू. 2,79,07,063.60 दिनांक 30.04.2022 को बकाया + आगे का ब्याज सी) 01.09.2022 डी) भौतिक कब्जा	ए) रू. 2,38,78,300/- बी) रू. 23,87,830/- सी) रू. 50,000/-	23.10.2024 सुबह 11:00 बजे से साँय 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	**472100-उदयपुर, संत तेरेसा आश्रम** **श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा** **श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा** 41, रेल्वे हॉस्पीटल के पीछे, वार्ड नं. 12, तहसील गिर्वा, उदयपुर, राजस्थान 313001 एवं ऑफीस नं. 554, तीसरी मंजिल, एस एम लोढ़ा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, राजस्थान 313001 एवं बी-88, विभूति इन्टरप्राईजेज, उदय विहार, रीको कॉलोनी, मादड़ी, उदयपुर, राजस्थान-313001	श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति जो ऑफीस नं. 554, तीसरी मंजिल, एस एम लोढ़ा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल, कोर्ट चौराहा मार्ग, उदयपुर, राजस्थान 313001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 153 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व: ऑफीस नं. 555 (पारस राम जी तेली), पश्चिम: बालकनी, उत्तर: गलियारा, दक्षिण: राकेश जी का ऑफीस नीलामी संदर्भ संख्या: PUNB73K25264337	ए) 05.03.2022 बी) रू. 36,16,447.05 दिनांक 28.02.2022 को बकाया + आगे का ब्याज सी) 29.07.2022 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रू. 11,14,200/- बी) रू. 1,11,420/- सी) रू. 20,000/-	23.10.2024 सुबह 11:00 बजे से साँय 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**डूँगरपुर शाखा, डूँगरपुर-062300** **मैसर्स श्री नीलकंठ फ्यूल्स जरिये प्रोपराईटर श्री अंजेश सालवी पुत्र श्री अमृत लाल सालवी एवं मैसर्स श्री नीलकंठ पैट्रोलियम भटकी जरिये प्रोपराईटर श्रीमती वीना सालवी पत्नी श्री सुरेश कुमार सालवी** **मैसर्स श्री नीलकंठ फ्यूल्स जरिये प्रोपराईटर श्री अंजेश सालवी पुत्र श्री अमृत लाल सालवी** फुटाला, भांडा, उदयपुर, राजस्थान 313803 एवं गाँव कलैया कद, एनएच-8, पीपली-बी, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर, राजस्थान 313802 एवं आराजी खसरा नं. 1691, 1692, 1693, 1696, बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान 313803 प्रोपराईटर- **श्री अंजेश सालवी पुत्र श्री अमृत लाल सालवी** फुटाला, भांडा, उदयपुर, राजस्थान 313803 **मैसर्स श्री नीलकंठ पैट्रोलियम भटकी जरिये प्रोपराईटर श्रीमती वीना सालवी पत्नी श्री सुरेश कुमार सालवी** किमी स्टोन 178 एवं 176 के बीच, एनएच-927-ए, पुराना (एसएच-10), खेरवाड़ा से सोम रोड़, गाँव भटकी, पोस्ट भांडा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान 313803 प्रोपराईटर- **श्रीमती वीना सालवी पत्नी श्री सुरेश कुमार सालवी** सालवी बस्ती, गाँव एवं पोस्ट भांडा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान 313803 जमानतदार एवं बंधककर्ता- **श्रीमती शर्मिला सालवी पत्नी श्री शान्ति लाल सालवी** भूत बंगला के पास, जय प्रकाश नगर, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान 313803 एवं आराजी खसरा नं. 1691, 1692, 1693, 1696, बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान 313803	श्रीमती शर्मिला सालवी पत्नी श्री शान्ति लाल सालवी के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति जो आराजी खसरा नं. 1691, 1692, 1693, 1696, बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 0.20 हैक्टेयर है। सीमाएं- पूर्व: प्रकाश चन्द एवं अन्य की भूमि, पश्चिम: शान्ति लाल सालवी की भूमि, उत्तर: रोड़, दक्षिण: कालू लाल एवं अन्य की कृषि भूमि नीलामी संदर्भ संख्या: PUNBNJC56110451	ए) 12.07.2023 बी) रू. 97,19,497.68 दिनांक 30.06.2023 को बकाया + आगे का ब्याज सी) 20.09.2023 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रू. 1,20,51,966/- बी) रू. 12,05,196/- सी) रू. 50,000/-	23.10.2024 सुबह 11:00 बजे से साँय 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	**952100-बेगूं** **श्री सुजान मल लोढ़ा पुत्र श्री मोहन लाल लोढ़ा** **श्री सुजान मल लोढ़ा पुत्र श्री मोहन लाल लोढ़ा** वार्ड नं. 14, झंवरों की गली, बेगूं, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312023	श्री सुजान मल लोढ़ा पुत्र श्री मोहन लाल लोढ़ा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो वार्ड नं. 14, झंवरों की गली, गांव एवं तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 420 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व: श्री किशन लाल जी झंवर का मकान, पश्चिम: श्री शंकर लाल जी मेवाड़ा का मकान, उत्तर: आम रोड़ झंवरों की गली, दक्षिण: श्री अभय कुमार जी लुहाडिया का मकान नीलामी संदर्भ संख्या: PUNB6DT25180764	ए) 11.12.2023 बी) रू. 7,49,963.42 दिनांक 30.11.2023 को बकाया+ आगे का ब्याज सी) 15.06.2024 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रू. 15,57,013/- बी) रू. 1,55,701/- सी) रू. 20,000/-	23.10.2024 सुबह 11:00 बजे से साँय 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

शर्तें व निबन्धन- बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों को ''जो जहाँ है, जो जैसा है, और जो कुछ भी है'' के रूप में बेचा जाएगा। 2. इस अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की प्राप्त पूर्ण जानकारी के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को उपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. उपरोक्त बिक्री https://ebkray.in की वेबसाइट पर उपरोक्त तालिका में वर्णित **दिनांक 23.10.2024 को सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे** तक ई नीलामी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 4. विक्रय की विस्तृत जानकारी हेतु व निबन्धन और शर्तों के लिए कृपया https://ebkray.in एवं www.pnbindia.in देखें।

दिनांक: 07.10.2024
स्थान: उदयपुर

हस्ता.
(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन विक्रय की वैधानिक सूचना